

निवासी खाता खोलने का फॉर्म – व्यक्तिगत
(बचत एवं चालू खाते के लिए)

FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

खाता सं.
दिनांक

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

सोल आईडी

शाखा

शाखा कोड
लीड आईडी
सरकारी व्यवसाय
समूह की आईडी

कर्मचारी
यदि कर्मचारी है तो पी. एफ. सं.

मेरा/हमारा खाता विवरण

डिलीवरी पॉइंट
शाखा
ग्राहक

प्री-ओपन
किट स्टिकर चिपकाएँ

खाते का प्रकार
बचत
चालू*
योजना का नाम
योजना का कोड

परिचालन की विधा:
एकल
संयुक्त
ई या एस
एफ या एस
ए या एस
जेटी-एसजी
अभिभावक
अन्य
(निर्दिष्ट करें).....

प्रारंभिक विप्रेषण

₹

योजना के अनुसार न्यूनतम औसत मासिक शेष बनाए रखना होगा

₹

*सीए (चालू खाता) के लिए, बैंकिंग प्रणाली से मिली क्रेडिट जोखिम सुविधा का उल्लेख करने वाला अतिरिक्त घोषणापत्र/वचनपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

ग्राहक आईडी (केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए)
सीकेवाईसी सं.
राष्ट्रियता
भारतीय
अभारतीय

नाम
(पहचान प्रमाण पत्र की भांति)
उपाधि
पहला नाम
मध्य नाम
उप नाम

पिता/जीवनसाथी का नाम
पहला नाम
मध्य नाम
उप नाम

माँ का विवाह पूर्व नाम
पहला नाम
मध्य नाम
उप नाम

लिंग
पुरुष
महिला
तृतीय लिंग

वैवाहिक स्थिति
एकल
विवाहित
अन्य

अवयस्क
हाँ

वरिष्ठ नागरिक
हाँ

फॉर्म 60
हाँ

जन्म तिथि

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

आधार/आधार रखने का प्रमाण

पैन

आधार/आधार रखने का प्रमाण
वाहन चालन लाइसेंस
मतदाता पहचान पत्र
पासपोर्ट
नरेगा
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से पत्र

दस्तावेज सं.
को जारी किया गया

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

समाप्ति की तिथि

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

(केवल ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट के लिए)

केवल विदेशी नागरिकों के लिए: वीजा नं.
को जारी किया गया

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

समाप्ति की तिथि

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

जारीकर्ता: विदेश में भारतीय दूतावास
गृह मंत्रालय (एमएचए)

भिन्न रूप से सक्षम
हाँ
यदि हाँ तो श्रेणी
शारीरिक
बौद्धिक
दृष्टि
भाषा/लिपि संबंधी
सहायता का प्रकार
परिचर
तृतीय पक्ष सहायता
अंगूठे का निशान
गवाह

पदर्शनशील

जीएसटी पंजीकरण संख्या (अगर लागू हो)

संपर्क विवरण

कृपया सबसे तेज कोरियर सेवाओं का पूरा पता उपलब्ध कराएँ

पते का प्रकार:
आवासीय/व्यवसायिक
आवासीय
व्यवसायिक
पंजीकृत कार्यालय

वर्तमान पता/पत्राचार का पता

पिन
राज्य
देश

पते का प्रकार:
आवासीय/व्यवसायिक
आवासीय
व्यवसायिक
पंजीकृत कार्यालय
उपर्युक्त

स्थायी पता (ओवीडी की भांति)

पिन
राज्य
देश

मैं/हम पत्राचार के लिए अपने अपने पते के रूप में
स्थायी पता/
वर्तमान पता को चुनना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं.

मोबाइल नंबर

+
9
1

फ़ोन (अवासीय)

ई-मेल आईडी (बड़े अक्षरों में)

सभी संचार दिए गए मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे

धर्म
हिंदू
सिख
मुसलमान
ईसाई
पारसी
जैन
बौद्ध
अन्य
(निर्दिष्ट करें).....

शैक्षणिक योग्यता
डॉक्टरेट
व्यवसायिक डिग्री/ डिप्लोमा
परास्नातक
स्नातक
अवस्नातक
गैर-मैट्रिकुलेट
निरक्षर
लागू नहीं

श्रेणी
सामान्य
अन्य पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति
अन्य
(निर्दिष्ट करें).....

मासिक आय

≤₹10,000
₹10,001 - ₹25,000
₹25,001 - ₹50,000
₹50,001 - ₹1,00,000
₹1,00,001 - ₹5 लाख
₹5,00,001 - ₹25 लाख
₹25,00,001 - ₹50 लाख
>₹50 लाख

1

व्यवसाय

वेतनभोगी

स्वनियोजित

स्वनियोजित व्यवसायिक

सेवानिवृत्त

राजनेता/ राजनीतिज्ञ

गृहिणी

विद्यार्थी

बेरोजगार

व्यवसाय की उप श्रेणी (यदि लागू हो)

यदि वेतनभोगी हैं, तो इनके साथ नियोजित हैं: निजी क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र

एलएलपी

भागीदारी

स्वामित्व

प्राइवेट लिमिटेड

पब्लिक लिमिटेड

ट्रस्ट

एनजीओ

सोसायटी

सरकार

वित्तीय क्षेत्र

न्यायपालिका

मीडिया

नौकरशाह

बहुराष्ट्रीय

शिक्षाविद

संगठन/नियोक्ता का नाम

पदनाम/व्यवसाय

यदि स्व-नियोजित हैं:

तब से नियोजित: वर्ष

माह

व्यवसाय की प्रकृति:

कृषि

कार विक्रेता

कलात्मक और प्राचीन वस्तुओं के विक्रेता

शस्त्र और आयुध विक्रेता

मनोरंजन उद्योग

स्वर्ण, रत्न, जवाहरात और कीमती पत्थरों के विक्रेता

ऋणदाता/निजी वित्तपोषक

उत्पादन

पॉन ब्रोकर

व्यवसायिक मध्यस्थ

अचल संपत्ति

शेयर दलाल

कबाड़ विक्रेता

सेवा प्रदाता

वर्चुअल करेसी

व्यापारी

स्व-नियोजित व्यवसायिक:

चिकित्सक

सीए/सीएस

अधिवक्ता

वास्तुकार

आईटी सलाहकार

फ्रीलांसर

व्यक्तिगत जानकारी – द्वितीय आवेदक

संबंधित व्यक्ति का प्रकार

संयुक्त धारक

समनुदेशिनी

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अन्य

ग्राहक आईडी

सीकेवाईसी सं.

राष्ट्रीयता

भारतीय

अभारतीय

यदि अभारतीय हैं, तो देश का उल्लेख करें

नाम

उपाधि

पहला नाम

मध्य नाम

उप नाम

पिता/जीवनसाथी का नाम

पहला नाम

मध्य नाम

उप नाम

माँ का विवाह पूर्व नाम

पहला नाम

मध्य नाम

उप नाम

लिंग

पुरुष

महिला

तृतीय लिंग

वैवाहिक स्थिति

एकल

विवाहित

अन्य

अवयस्क

हाँ

वरिष्ठ नागरिक

हाँ

फॉर्म 60

हाँ

जन्म तिथि

आधार/आधार रखने का प्रमाण

पैन

आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़

आधार/आधार रखने का प्रमाण

वाहन चालन लाइसेंस

मतदाता पहचान पत्र

पासपोर्ट

नरेगा

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से पत्र

दस्तावेज़ सं.

को जारी किया गया

समाप्ति की तिथि

केवल विदेशी नागरिकों के लिए: वीज़ा नं.

जारीकर्ता: विदेश में भारतीय दूतावास

गृह मंत्रालय (एमएचए)

भिन्न रूप से सक्षम

हाँ

यदि हाँ तो श्रेणी

शारीरिक

बौद्धिक

दृष्टि

भाषा/लिपि संबंधी

सहायता का प्रकार

परिचर

तृतीय पक्ष सहायता

अंगूठे का निशान

गवाह

पदनिर्देश

जीएसटी पंजीकरण संख्या

संपर्क विवरण

पते का प्रकार:

आवासीय/व्यवसायिक

आवासीय

व्यवसायिक

पंजीकृत कार्यालय

वर्तमान पता/पत्राचार का पता

पिन

राज्य

देश

शहर/कस्बा

पते का प्रकार:

आवासीय/व्यवसायिक

आवासीय

व्यवसायिक

पंजीकृत कार्यालय

उपयुक्त

स्थायी पता

पिन

राज्य

देश

मोबाइल नंबर

फ़ोन (अवासीय)

ई-मेल आईडी

धर्म हिंदू ☐ सिख ☐ मुसलमान ☐ ईसाई ☐ पारसी ☐ जैन ☐ बौद्ध ☐ अन्य ☐ (निर्दिष्ट करें).....	श्रेणी सामान्य ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य ☐ (निर्दिष्ट करें).....
शैक्षणिक योग्यता डॉक्टरेट ☐ व्यवसायिक डिग्री/ डिप्लोमा ☐ परास्नातक ☐ स्नातक ☐ अवस्नातक ☐ गैर-मैट्रिकुलेट ☐ निरक्षर ☐ लागू नहीं ☐	मासिक आय ≤ ₹10,000 ☐ ₹10,001 - ₹25,000 ☐ ₹25,001 - ₹50,000 ☐ ₹50,001 - ₹1,00,000 ☐ ₹1,00,001 - ₹5 लाख ☐ ₹5,00,001 - ₹25 लाख ☐ ₹25,00,001 - ₹50 लाख ☐ > ₹50 लाख ☐

व्यवसाय वेतनभोगी ☐ स्वनियोजित ☐ स्वनियोजित व्यवसायिक ☐ सेवानिवृत्त ☐ राजनेता/ राजनीतिज्ञ ☐ गृहिणी ☐ विद्यार्थी ☐ बेरोजगार ☐

व्यवसाय की उप श्रेणी (यदि लागू हो) यदि वेतनभोगी हैं, तो इनके साथ नियोजित हैं: निजी क्षेत्र ☐ सार्वजनिक क्षेत्र ☐ एलएलपी ☐ भागीदारी ☐ स्वामित्व ☐ प्राइवेट लिमिटेड ☐ पब्लिक लिमिटेड ☐ ट्रस्ट ☐ एनजीओ ☐ सोसायटी ☐ सरकार ☐ वित्तीय क्षेत्र ☐ न्यायपालिका ☐ मीडिया ☐ नौकरशाह ☐ बहुराष्ट्रीय ☐ शिक्षाविद ☐ संगठन/नियोक्ता का नाम..... पदनाम/व्यवसाय

यदि स्व-नियोजित हैं: तब से नियोजित: वर्ष माह
व्यवसाय की प्रकृति: कृषि ☐ कार विक्रेता ☐ कलात्मक और प्राचीन वस्तुओं के विक्रेता ☐ शस्त्र और आयुध विक्रेता ☐ मनोरंजन उद्योग ☐ स्वर्ण, रत्न, जवाहरात और कीमती पत्थरों के विक्रेता ☐ ऋणदाता/निजी वित्तपोषक ☐ उत्पादन ☐ पॉन ब्रोकर ☐ व्यवसायिक मध्यस्थ ☐ अचल संपत्ति ☐ शेयर दलाल ☐ कबाड़ विक्रेता ☐ सेवा प्रदाता ☐ वर्चुअल करेंसी ☐ व्यापारी ☐
स्व-नियोजित व्यवसायिक: चिकित्सक ☐ सीए/सीएस ☐ अधिवक्ता ☐ वास्तुकार ☐ आईटी सलाहकार ☐ फ्रीलांसर ☐

खाता संबंधी क्रियाकलाप	
खाता खोलने का उद्देश्य:	बचत खाता: बचत ☐ ऋण के लिए क्रियाशील खाता/सावधि जमा खाता ☐ निवेश ☐ चालू खाता: व्यवसाय/व्यापारिक उद्देश्य ☐ ऋण के लिए क्रियाशील खाता/सावधि जमा खाता ☐
धन/संपत्ति का स्रोत:	वेतन ☐ व्यवसायिक आय ☐ माता-पिता-जीवनसाथी-भाई-बहन ☐ व्यक्तिगत बचत ☐ किराया/ब्याज ☐ कृषि ☐ निवेश ☐ सेवानिवृत्ति लाभ ☐ वार्षिक लेन-देन संबंधी मात्रा
यह खाता कोई भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ☐ या राज्य/केंद्र सरकार की किसी भी छात्रवृत्ति ☐ को प्राप्त करने के लिए खोला गया है.	
आवश्यक सेवाएं	
पास बुक ☐ चेक बुक ☐ ई-मेल अलर्ट ☐ मोबाइल अलर्ट ☒ मोबाइल बैंकिंग ☒ आधार सक्षम भुगतान प्रणाली ☐	
डेबिट कार्ड ☐	कार्ड का प्रकार कार्ड पर दर्ज नाम
इंटरनेट बैंकिंग (फेडनेट) सुविधा देखें ☐ लेन-देन ☐	कृपया यूजर आईडी के लिए 3 विकल्पों का सुझाव दें 1 2 3 अगर आप भौतिक पिन मेलर प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिलीवरी पॉइंट पर सही का निशान लगाएँ: पत्राचार का पता ☐ शाखा ☐

पीओएस, ई-कॉम, फेडनेट, फेडमोबाइल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से सभी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों (एटीएम से नकद निकासी के अलावा) की अनुमति तभी दी जाएगी अगर हमारे अभिलेख में आपका वैध मोबाइल नंबर अद्यतन किया गया होगा

कॉर्पोरेट वेतन खाते के लिए	
कॉर्पोरेट/संस्था का नाम	कंपनी की मुहर

डेबिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग (फेडनेट) / मोबाइल बैंकिंग / ई-मेल अलर्ट / टेली बैंकिंग / फेड ई-पे में डेट - व्यक्तिगत (व्यक्तियों के एक से अधिक संचालक वाले खातों के लिए लागू)	
संयुक्त खाता धारकों का नाम (उपयोगकर्ता के अलावा) 1..... 2..... 3..... मैं/हम (आवेदक) को इस आवेदन पत्र में उल्लिखित अपनी ग्राहक आईडी से जुड़े सभी खातों के संबंध में एटीएम कार्ड / फेडनेट / मोबाइल बैंकिंग / मोबाइल अलर्ट / ई-मेल अलर्ट / फेड ई-पे / टेलीबैंकिंग सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं. मैं/हम इस/इन सेवा/ओं के माध्यम से आवेदक द्वारा जो सब कुछ या कुछ भी किया जाता है या कराया जाता है, उसकी पुष्टि और अनुसमर्थन करता/करती हूँ/करते हैं. यह प्राधिकार तब तक प्रवर्तित रहेगा जब तक कि हममें से किसी भी एक या सभी द्वारा बैंक को लिखित नोटिस देकर रद्द नहीं किया जाता है.	
संयुक्त खाता धारकों के हस्ताक्षर (उपयोगकर्ता के अलावा) 1 2 3 स्थान: दिनांक:	

एफएटीसीएम - सीआरएस उद्घोषणा	
मैं भारत से बाहर किसी भी देश का नागरिक/राष्ट्रिक/कर निवासी हूँ (अगर हाँ, तो अलग से अनुलग्नक भरें), प्रथम आवेदक हाँ ☐ द्वितीय आवेदक हाँ ☐ . मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही है. किसी भी बदलाव की स्थिति में मेरे/हमारे द्वारा 30 दिनों के भीतर बैंक को सूचित कर दिया जाएगा.	

कृपया जहाँ भी लागू हो, सही का निशान (✓) लगाएँ

प्रमाणपत्र/घोषणाएँ

☐ **ए) अवयस्कों के नाम पर खातों के लिए:** (अभिभावक द्वारा भरा जाना है)

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि का जन्म/...../..... को हुआ था और वह...../...../..... को व्यस्क हो रहा है और मैं प्राकृतिक अभिभावक/ न्यायालय के आदेश दिनांकित/...../..... द्वारा नियुक्त वैधानिक अभिभावक हूँ, अभिभावक का नाम, अवयस्क खाता संख्या,

☐ **बी) बैंक कर्मचारियों के लिए:**

मैं..... बैंक का/की कर्मचारी..... हूँ जिसकी शाखा/कार्यालय आईडी/पीएफ सं. और पदनाम है.

☐ **सी) राजनीतिक रूप से सुविदित व्यक्तियों के लिए:** (राजनीतिक रूप से सुविदित व्यक्ति (पीओपी) वे लोग हैं जिन्हें किसी विदेशी देश/घरेलू देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया है, जैसे : राष्ट्राध्यक्ष/सरकार के अध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्वाधीन निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी.)

मैं i) सरकार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाला, ii) एक राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण पद धारण करने वाला राजनीतिक रूप से सुविदित व्यक्ति हूँ, iii) नाम से राजनीतिक रूप से सुविदित व्यक्तियों से निकटता से संबंधित हूँ,

	धारित पद	दल/संगठन का नाम	पदनाम	कार्यालय की अवधि
राजनीतिक दल				
सरकारी संगठन				

☐ **डी)** मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह बीएसबीडीए खाता खोलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर बीएसबीडीए के अलावा अपने मौजूदा बचत खाते (जेट्टी, ई या एस, ए या एस, एफ या एस के रूप में एकल या संयुक्त रूप से रखे गए) को बंद कर दूंगा/दूंगी, जिसमें विफल रहने पर बैंक 30 दिनों के बाद बीएसबीडीए के अलावा मेरा बचत खाता बंद करने के लिए स्वतंत्र है.

☐ **ई)** मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा किसी अन्य बैंक में कोई बीएसबीडीए खाता नहीं है.

☐ **एफ)** अपने ग्राहकों की ओर से खाता खोलने वाले व्यवसायिक मध्यस्थों के लिए

i. यह खाता एक एकल ग्राहक की ओर से रखा गया है और ग्राहक के केवाईसी दस्तावेजों को पेश किया गया है. ii. खातों में रखी गई राशि एक व्यवसायिक मध्यस्थ के रूप में अपनी क्षमता से कई ग्राहकों की ओर से रखी गई समेकित धनराशि है और जिन ग्राहकों की ओर से खाता रखा गया है, उनके केवाईसी दस्तावेजों को किसी भी समय माँगे जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा.

☐ **जी)** मैं फेडरल बैंक लिमिटेड और उसके सेवा प्रदाताओं को बैंक में पंजीकृत मेरे मोबाइल नंबर से जुड़े वॉट्सएप पर विपणन/प्रचार संबंधी विषयवस्तु/विषयवस्तु/लेनदेन संबंधी/सेवा संबंधी अलर्ट सुविधाजनक बनाने/अग्रेषित करने/भेजने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ. मैं पुनः स्वीकार करता/करती हूँ और सहमत होता/होती हूँ कि पूर्वोक्त प्राधिकरण डीएनसी/एनडीएनसी के मेरे मौजूदा/भविष्य के पंजीकरण को रद्द कर देगा.

डीएनसी/एनडीएनसी पंजीकरण को रद्द करने की सहमति देकर, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप डीएनसी/एनडीएनसी में अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कर हमसे वॉट्सएप संदेश प्राप्त करना बंद नहीं कर पाएंगे. यदि आप सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं तो आप या तो हमारी वॉट्सएप पुश सेवा पर 'Stop' भेज सकते हैं या अपनी शाखा में इसका अनुरोध जमा कर सकते हैं और इस खिर्तन को प्रभावी बनाने में हमें सात (7) कार्य दिवस तक लग सकते हैं.

☐ **एच)** मैं वॉट्सएप पर विपणन/प्रचार संबंधी विषयवस्तु/विषयवस्तु/लेनदेन संबंधी/सेवा संबंधी अलर्ट नहीं प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ.

☐ **आई)** कर्मचारी/निदेशक के संबंधी हैं. यदि हाँ, तो कर्मचारी/निदेशक का नाम बताएं.....

☐ **जे)** मैं आधार अधिनियम की धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचित योजना(योजनाओं) के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इस खाते को एनपीसीएल मैपर से जोड़ना चाहता/चाहती हूँ. इस निमित्त मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड प्रस्तुत किया है. इसके अलावा मेरा/हमारा आधार/आधार नंबर रखने का प्रमाण किसी अन्य बैंक से नहीं जोड़ा गया है.

घोषणाएँ: मेरे/हमारे द्वारा एतद् द्वारा निम्नलिखित को स्वीकार किया जाता है/माना जाता है/पुष्टि की जाती है/वचन दिया जाता/घोषित और अभिस्वीकृत किया जाता है :-

1. फेडरल बैंक लिमिटेड, ("बैंक") द्वारा यथा निर्धारित और समय-समय पर यथा संशोधित नियम और विनियम/नीति/नियम व शर्तों बैंक की विभिन्न बचत/चालू/जमा योजनाओं के अंतर्गत खाता खोलने और संचालित करने के लिए लागू होगी, जिसमें चेक/लिखतों की वसूली, विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रशुल्क, व्याज की दर, देय व्याज पर टीडीएस, सेवा शुल्क और न्यूनतम औसत मासिक शेष राशि न बनाए रखने के लिए शुल्क और डेबिट कार्ड, चैनल सुविधाओं, टेली/इंटरनेट बैंकिंग, ई-पे सुविधा, आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस, आदि सहित सहायक सेवाओं से संबंधित शुल्क शामिल हैं लेकिन जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं.

2. (ए) संयुक्त खातों (परिचालन की किसी किसी भी विधा वाले) के मामले में, प्रथम धारक के नाम पर सभी आयकर संबंधी उद्देश्यों के लिए विचार किया जाएगा. (बी) संयुक्त खातों में परिचालन का मैडेट सभी खाताधारकों के संयुक्त अनुरोध पर ही संशोधित किया जाएगा.

3. मेरे/हमारे द्वारा एतद् द्वारा बैंक को बिना किसी नोटिस या सूचना के लागू सेवा शुल्कों, स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) और विनियामकीय/सांविधिक भुगतानों सहित करें, बैंक के माध्यम से मेरे/हमारे द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के संबंध में अन्य सभी शुल्कों, लागतों और खर्चों के भुगतान/वसूली के प्रति मेरा/हमारा खाता डेबिट करने के लिए अधिकृत किया जाता है.

4. मेरे/हमारे द्वारा एतद् द्वारा बैंक को बिना किसी नोटिस या सूचना के किसी भी सांविधिक/विनियामकीय या कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किसी भी राशि के भुगतान के लिए मेरा/हमारा खाता डेबिट करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है.

5. बैंक द्वारा यथा अधिसूचित/निर्दिष्ट प्रीमियम खातों को संबंधित खातों या खातों के समूह में बनाए रखे गए औसत मासिक शेष के आधार पर कुछ विशेषाधिकार और सेवा शुल्कों में रियायतें मिल सकती हैं.

6. बैंक द्वारा, किसी भी समय, बिना किसी नोटिस के (ए) बैंक में मेरे/हमारे नाम से रखे गए सभी खातों में इसमें दिए गए विवरणों को आज की तिथि तक अद्यतन किया जा सकता है और किसी भी दिए गए समय पर मेरे/हमारे नाम पर विभिन्न ग्राहक आईडी, यदि कोई हो, को समेकित किया जा सकता है, (बी) मेरे/हमारे द्वारा सभी या किन्हीं खातों को संयुक्त और समेकित किया जा सकता है और मेरे/हमारे नाम पर ऐसे किसी एक या अधिक खातों में जमा किसी भी राशि या किन्हीं राशियों को या किसी भी खाते में या किसी अन्य संबंध में बैंक के प्रति मेरी/हमारी किसी भी देनदारी की संतुष्टि के लिए पृथक या स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे ऐसी देनदारियाँ 'वास्तविक हो या आकस्मिक', 'प्राथमिक हों या संपातिर्षक' और 'अलग-अलग हों या संयुक्त'.

7. केंद्रीयकृत सकारात्मक वेतन प्रणाली (सीपीपीएस) सुविधा जो एनपीसीआई द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, एक अतिरिक्त संकेतक है, चेक से संबंधित धोखाधड़ी की घटना पूर्वरक्षित करने के लिए सभी सीटीएस चेक के लिए उपलब्ध है और यह वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए चेकों की शुद्धता/वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए चेकों के प्रमुख विवरणों जैसे तारीख, लाभार्थी/भुगतानकर्ता का नाम आदि की पुनः पुष्टि करने के लिए एक अतिरिक्त रक्षोपाय होगा और सीपीपीएस सुविधा की सदस्यता न लेने की स्थिति में, मैं/हम सीटीएस ग्रीड/समाशोधन गृह में विवाद निवारण तंत्र के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ/अपार हो जाऊंगा/जाऊंगी/जाएंगे.

8. समय-समय पर खाता संबंधी विवरणों/शेष राशियों का सत्यापन करने और बैंक द्वारा यथोचित सावधानी बरते जाने के बाद खाते में अनधिकृत या धोखाधड़ी वाले लेनदेनों से बचने के लिए उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने, (बी) और आगे बैंक को खाते में गलत क्रेडिट या अनजाने में किए गए किसी ओवरड्राफ्ट के बारे में बैंक को सूचित करने और बिना किसी आपत्ति के लागू व्याज और अन्य शुल्कों के साथ उसे वापस करने के लिए, (सी) उपयोगकर्ता की जानकारी, प्रमाणीकरण क्रेडेंशियल जैसे पासवर्ड और खाते से संबंधित ओटीपी/पिन आदि जैसी अन्य जानकारी/विवरण और बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायक सेवाओं की गोपनीयता बनाए रखना मेरी/हमारी एकमात्र जिम्मेदारी होगी. डिजिटल/मोबाइल/इंटरनेट/टेली बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मेरी/हमारी उपयोगकर्ता की जानकारी और प्रमाणीकरण क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए खाते में शुरू किए गए और निष्पादित सभी लेनदेनों और अनुरोधों को मेरे/हमारे द्वारा शुरू किया गया/निष्पादित किया गया माना जाएगा।

9. बैंक खाते में परिचालन बंद करने, आंशिक रूप से या पूरी तरह से निलंबित/प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है : (ए) अनियमित परिचालनों/लेनदेनों का पता चलने पर जो खाता खोलने के समय घोषित या उसके बाद संशोधित रूपरेखाओं के अनुरूप नहीं हैं, (बी) बैंक द्वारा अनुरोध पर निर्धारित अवधि के भीतर समीक्षाधीन किसी भी लेनदेन का समर्थन करने वाला कोई विवरण प्रदान/प्रकट करने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, (सी) खाता खोलने और/या समय-समय पर केवाईसी अपडेट के दौरान या अन्यथा अद्यतन केवाईसी संबंधी विवरण/दस्तावेज/पैन/फॉर्म 60, माँगी गई जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहने पर,जैसा कि बैंक द्वारा माँगी जा सकती है, (डी) यदि कोई संदेह/यह मानने का कारण है कि खाते का अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और (ई) जहाँ तक कानून द्वारा और/या अदालतों/सांविधिक निकायों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक है.

10. व्यवसायिक/व्यापारिक उद्देश्यों के लिए यहाँ तक कि व्यक्तियों के नाम पर भी बचत बैंक खाता नहीं खोला जा सकता है. यदि बचत बैंक खाते का व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि लेनदेनों से प्रकट होता है, तो बैंक खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

11. (ए) मेरे/हमारे द्वारा केवाईसी प्रक्रिया के भाग के रूप में आधार/आधार नंबर रखने का प्रमाण/आधार की प्रति/आधार जारी होने का प्रमाण और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक स्कैन स्वेच्छा से प्रदान किया गया है और बैंक को मेरी/हमारी ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से ई-केवाईसी विवरण मान्य करने और प्राप्त करने के लिए उक्त डेटा का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाता है. (बी) जब भी आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज में दिए गए पते में कोई परिवर्तन होगा, तो उसे घोषणा पत्र के साथ बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बशर्ते कि ई-केवाईसी पूरी हो गई हो. (सी) बैंक को मेरे/हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से केवाईसी विवरणों को सीईआरएसआई द्वारा रखे गए केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ साझा करने और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के भाग के तौर पर और/या बैंक की प्रणालियों में मेरी/हमारी केवाईसी संबंधी जानकारी अद्यतन करने के संबंध में किसी भी उत्पाद या सेवा के लिए बैंक के साथ मेरे/हमारे संबंधों की निरंतरता के दौरान सीकेवाईसीआर से मेरे/हमारे केवाईसी डेटा प्राप्त करने और पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सीकेवाईसीआर से जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है.

12. लागू योजना के अंतर्गत आवश्यक औसत मासिक शेष राशि (एमबी) बनाए रखने और एमबी बनाए न रखने के लिए बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गई शुल्क संरचना के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत होने के लिए.

13. यदि कोई दस्तावेज जैसे कि पासबुक, चेक बुक, जमा रसीद, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि खो जाता है, तो उसका दुरुपयोग रोकने के लिए प्रकरण तुरंत बैंक के संज्ञान में लाया जाना चाहिए. समय पर इसकी सूचना न देने के कारण ग्राहक (ग्राहकों) को होने वाली किसी भी वित्तीय हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.

14. मैंने/हमने फेडरल बैंक की वेबसाइट (www.federalbank.co.in / general-terms-and-conditions) पर प्रकाशित नियमों व शर्तों के दस्तावेज में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़कर समझ लिया है और उनसे सहमत हूँ/हैं और मेरे/हमारे द्वारा उनका हर समय पालन करने का वचन दिया जाता है. बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट और/या अपनी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित नियमों व शर्तों, नीति और नियमों तथा विनियमों में किया गया कोई भी अनुवर्ती परिवर्तन मेरे/हमारे लिए वैध नोटिस होगा. बैंक द्वारा एसएमएस, वॉट्सएप या ई-मेल के माध्यम से भेजी गई कोई भी सूचना मेरे/हमारे लिए कानूनी रूप से वैध और बाध्यकारी नोटिस होगी.

15. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और ऊपर प्रस्तुत किए गए विवरणों में किसी भी बदलाव के बारे में ऐसा बदलाव होने के 30 दिनों के भीतर मेरे/हमारे द्वारा तुरंत बैंक को सूचित किया जाएगा.

स्थान: _____

हस्ताक्षर:

दिनांक: _____

बैंक जमाओं के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 'जेडए' और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन

मैं/हम
(नाम और पता) निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता/करती हूँ/करते हैं जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में जमा राशि, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, फेडरल बैंक लिमिटेड की शाखा द्वारा वापस लौटाई जा सकती है.

जमा

जमा की प्रकृति	विशिष्टता सूचक सं.	अतिरिक्त विवरण, अगर कोई हो

नामांकित व्यक्ति

नाम	पता	जमाकर्ता के साथ संबंध, अगर कोई हो	आयु	अगर नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, तो जन्म तिथि

चूंकि इस तिथि को नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी
(नाम और पता) आयु वर्ष को नामांकित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने की स्थिति में नामांकित व्यक्ति की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

..... गवाह(गवाहों) के नाम, हस्ताक्षर और पता(पते)@ *जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

☐ मुझे/हमें बैंक अधिकारी द्वारा बताया गया है कि नामांकन सुविधा उपलब्ध है. मैं/हम यह भी मानता/मानती हूँ / मानते हैं कि यह सुविधा मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में, बैंक के लिए किसी परेशानी के बिना और किसी भी कानूनी दस्तावेज का आग्रह किए बिना नामिति के लिए निपटान करना संभव बनाएगी.
बैंक के अनुरोध पर विचार करने के बाद, मैंने/हमने नामांकन प्रदान न करने का निर्णय लिया है और माँग करता/करती हूँ / करते हैं कि बैंक मेरा/हमारा खाता बिना नामांकन के खोले.
ध्यान रखें: यदि आवेदक द्वारा नामिति नहीं दिया जा रहा है, तो उसे एक अलग पत्र जारी कर उसे एओएफ के साथ संलग्न करना होगा.

स्थान:
दिनांक: *जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

ध्यान रखें: *जहाँ किसी अवयस्क के नाम पर जमा किया जाता है, नामांकन पर अवयस्क की ओर से वैधानिक रूप से कार्य करने अधिकारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और *अगर नामांकित व्यक्ति अवयस्क नहीं है तो काट दिया जाना चाहिए. @ अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा.

प्राथमिक आवेदक

कृपया यहाँ
पासपोर्ट साइज का
रंगीन छायाचित्र चिपकाएँ

संयुक्त आवेदक

कृपया यहाँ
पासपोर्ट साइज का
रंगीन छायाचित्र चिपकाएँ

प्राथमिक आवेदक के हस्ताक्षर

संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोगार्थ

- ☐ 2. ग्राहक को फॉर्म में सटीक और पूरी जानकारी देने के लिए संक्षिप्त वृत्तांत दिया गया और पुष्टि की गई कि आय, आय/धन का स्रोत, व्यवसाय, व्यवसायिक गतिविधि, खाता खोलने का उद्देश्य और खाते में अपेक्षित टर्नओवर जैसे क्षेत्रों में भरी गई जानकारी को ग्राहक (ग्राहकों) के साथ एक बार फिर से सत्यापित किया गया है. यदि ग्राहक व्यवसाय की उपश्रेणी में आता है, तो यह शाखा अधिकारी/अधिकारियों द्वारा निरपवाद रूप से सुनिश्चित किया गया है. बड़ी हुई सम्यक तत्परता के मामले में, हम खाता खोलने और ग्राहक की सम्यक तत्परता पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज़/सूचना संग्रह और दर्ज करने की पुष्टि करते.
- ☐ 3. आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़/दस्तावेज़ों, तस्वीर/तस्वीरों, पैन/फॉर्म 60 को सत्यापित कर संलग्न किया गया और केवाईसी मानदंडों का पालन किया गया.

कर्मचारी आईडी/डीएसए आईडी

दिनांक

D D M M Y Y Y Y

कार्यालय उपयोगार्थ

- ☐ 1. केवल निरक्षर ग्राहकों के लिए लागू:
यह देखते हुए कि ग्राहक निरक्षर है, बैंक/अभिकर्ता को दी गई अपेक्षित जानकारी इस आवेदन पत्र में भरी गई है और व्यक्ति को पढ़कर सुनाई गई है. आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान फॉर्म की विषयवस्तु पढ़ कर सुनाने और उसकी सत्यता की पुष्टि माना जाएगा.

लिपिक/सहयोगी

सहायक प्रबंधक

प्रधान अधिकारी

एसपी सं.

एसपी सं.

एसपी सं.

This page is intentionally left blank

सामान्य

बचत बैंक खाता आवश्यक रूप से बचत बढ़ाने की सुविधा है और इसलिए इसका व्यवसायिक उद्देश्य से या चालू खाते के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि बैंक के पास यह मानने का कोई कारण है कि खाताधारक द्वारा अपने खाते का किसी ऐसे उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए अनुमति नहीं है, तो बैंक द्वारा खाता बंद किया जा सकता है।

पात्रता:

बचत खाता की केवल व्यक्तियों और एचयूएफ, जिनका प्रतिनिधित्व कर्ता द्वारा किया जाता है और जमाशियों पर ब्याज दरों पर आरबीआई के प्रधान निर्देश के अनुसार निर्दिष्ट गैर-व्यक्ति श्रेणियों के लिए ही अनुमति है।

अपने ग्राहक को जानें संबंधी दिशा-निर्देश

खाता खोलने की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए सहमत होने पर, बचत बैंक खाता खोला जा सकता है, बशर्ते उसके द्वारा पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और/या अपनी प्रोफाइल और आय/धन के स्रोत की अन्य जानकारी बैंक द्वारा अपेक्षित रूप में प्रस्तुत की जाए।

खाता खोलना:

ऑनलाइन: आवेदक द्वारा फेडरल बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन खाता खोलने का आवेदन किया जा सकता है।

शाखा चैनल: खाता खोलने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक जाना। आवेदक (आवेदकों) द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को विधिवत भरकर हस्ताक्षर किया जाएगा। आवेदक (आवेदकों) को केवाईसी दस्तावेजों, आरबीआई/सीबीडीटी के लिए यथा लागू घोषणापत्र और हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की तस्वीर की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए। हस्ताक्षर बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक विशिष्ट खाता संख्या दी जाएगी। बैंक के साथ संव्यवहार करते समय, खाताधारक (खाताधारकों) को निरपवाद रूप से इस संख्या को उद्धृत करना चाहिए। खाताधारकों से, उनके अपने स्वहित में, खातों का संचालन करते समय और बैंक से कोई भी पत्राचार करते समय बैंक में दर्ज नमूने के अनुसार एक समान हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाती है।

ग्राहक की रूपरेखा:

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को सतत आधार पर खाते में किए जाने वाले लेन-देनों की बारीकी से निगरानी कर उचित सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लेन-देन खाता खोलते समय प्रदान की गई ग्राहक की रूपरेखा के अनुरूप हो। इसलिए यह जरूरी है कि आपके द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा संबंधी जानकारी सही और सटीक हो। आपका रूपरेखा संबंधी विवरण लेन-देन के पैटर्न और आपके खाते में शेष राशि से मेल खाना बहुत जरूरी है। यदि आपके रूपरेखा संबंधी विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपनी निकटतम फेडरल बैंक शाखा में जाकर अपने विवरणों को अद्यतन कराएँ।

खातों के प्रकार, शेष राशि संबंधी शर्तें और सेवा शुल्क:

आवेदकों द्वारा चेकबुक सुविधा के साथ या बिना चेकबुक के खाता खोला जा सकता है। बचत खातों के लिए निर्धारित वर्तमान मासिक औसत शेष राशि और न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। अल्पवयस्कों के खाते को छोड़कर बचत बैंक खाते में अधिकतम शेष राशि पर कोई सीमा नहीं है।

अल्पवयस्कों के खाते

अल्पवयस्क ग्राहक की ओर से उसके प्राकृतिक अभिभावक या सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा या अल्पवयस्क ग्राहक द्वारा स्वयं खाता खोला जा सकता है, यदि अल्पवयस्क ग्राहक की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो गई है। यदि खाता खोलते समय अल्पवयस्क ग्राहक का प्रतिनिधित्व अभिभावक द्वारा किया जाता है, तो अभिभावक द्वारा अल्पवयस्क ग्राहक के वयस्क होने तक उपरोक्त खाते में किसी भी प्रकार के सभी लेन-देनों में अल्पवयस्क ग्राहक का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अल्पवयस्क ग्राहक के वयस्क होने पर, अभिभावक का खाता संचालित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अभिभावक अल्प वयस्क ग्राहक के खाते से/में अपने द्वारा की गई किसी भी निकासी/लेनदेन के प्रति अल्पवयस्क ग्राहक के दावे के विरुद्ध बैंक की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।

नामांकन और उत्तरजीविता सुविधा

बचत बैंक पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है और खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अप्रत्याशित परिस्थितियों में कानूनी उत्तराधिकारियों के दावे के सुचारु निपटान के लिए इस सुविधा का लाभ उठाएँ। नामांकन केवल एक ही नामिति के पक्ष में किया जा सकता है। यदि खाताधारक नामांकन नहीं करना चाहते हैं, तो इस आशय की एक अलग घोषणा के साथ-साथ इस तथ्य को उनके पूर्ण हस्ताक्षर के साथ खाता खोलने के फॉर्म पर दर्ज किया जाना चाहिए।

पासबुक/खाता संबंधी विवरण

सभी बचत खाताधारक पासबुक/खाता संबंधी विवरण सुविधा के लिए पात्र हैं। पासबुक ग्राहक द्वारा अनुरोध पर जारी की जाती है और जारी होने के बाद ग्राहक की अभिरक्षा में सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए और इस संबंध में खाताधारकों की लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान या गलत भुगतान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। निकासी पर्वी के माध्यम से नकद निकासी के लिए, खाताधारक स्वयं मौजूद रहना चाहिए। चेक फॉर्म और डेबिट कार्ड का उपयोग करके निकासी पासबुक के बिना की जा सकती है। पासबुक प्रस्तुत किए बिना जमा किया जा सकता है। पासबुक को नियमित रूप से अद्यतन कराया जाना चाहिए और लेन-देन विधिवत अद्यतन होने के तुरंत बाद खाताधारक को वापस कर दिया जाएगा। खाताधारकों को ध्यान से अपनी पासबुक में की गई प्रविष्टियों की जाँच करनी चाहिए और यदि कोई त्रुटि या चूक हो तो बैंक का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। खाताधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर आवश्यक पृष्ठताछ, औपचारिकताओं को पूरा करने और निर्धारित शुल्क की प्राप्ति के बाद खो गए या कटे-फटे पासबुक के बदले में डुप्लिकेट पासबुक जारी किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

चेक बुक

जिस योजना के अंतर्गत खाता खोला गया है, उसकी शर्तों के अधीन, जब तक कि ग्राहक द्वारा लिखित रूप से इसके विपरीत अनुरोध न किया जाए, बैंक द्वारा खाता खोलने पर चेक बुक जारी की जाएगी। चेक बुक का आगामी निर्गमन केवल एटीएम, फेड मोबाइल या फेड नेट के माध्यम से ग्राहक द्वारा लिखित अनुरोध पर ही किया जाएगा। ग्राहक द्वारा चेक बुक को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सावधानी और एहतियात बरती जाएगी। चेक बुक सुविधाओं के लिए खाते में पर्याप्त न्यूनतम शेष राशि बनाए रखनी होगी, ऐसा न करने पर शुल्क लगाया जाएगा। खाते में औसत मासिक/तिमाही शेष राशि बनाए न रखने की स्थिति में बैंक आगे चेक बुक निर्गमन का अधिकार सुरक्षित रखता है। खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान चार अवसरों पर एक करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के चेक अस्वीकृत होने पर, कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी और खाता बंद किया जा सकता है। चेक बुक जारी करने के लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जमा राशि

गैर-गृह शाखा में नकद जमा स्वीकार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। खाते में जमा करने के लिए केवल खाताधारक के पक्ष में जारी किए गए चेकों, ड्राफ्टों या अन्य लिखतों को ही स्वीकार किए जाएंगे। इनके न भुनाने तक स्वीकार किए गए लिखतों के विरुद्ध सामान्य रूप से किसी आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामान्य संग्रहण और कर्मचारी द्वारा किए गए फुटकर व्ययों को वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान सीमा और शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। बाद में बिना भुगतान के वापस किए गए लिखतों के लिए अतिदेय ब्याज वसूला जाएगा।

निकासी

निकासी पर्वी का केवल खाताधारक द्वारा शाखा में उपस्थित होकर नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नकद निकासी के लिए एटीएम में एटीएम सह डेबिट कार्ड का भी उपयोग किया जा सकता है। निकासी पर्वी के माध्यम से तृतीय पक्ष भुगतानों की अनुमति नहीं है। किसी खाते में अनुमति प्राप्त अधिकतम निःशुल्क डेबिट प्रविष्टियाँ योजना विशिष्ट हैं या बैंक द्वारा समय-समय पर निर्णयानुसार हैं। इस सीमा से अधिक राशि के लिए निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। बीमार, वृद्ध या अक्षम खाताधारकों को नकद निकासी की सुविधा दी जा सकती है जो शाखा में शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं और बैंक द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा कर नकद निकासी के लिए अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं या अंगूठे का निशान नहीं लगा सकते हैं।

ओवरड्राफ्ट

खाते में शेष राशि से अधिक राशि के लिए आहरित चेकों को बिना भुगतान के वापस कर दिया जाएगा। हर बार जब भी चेक पर्याप्त धनराशि के अभाव में बिना भुगतान के वापस किया जाएगा, तो सेवा शुल्क वसूला जाएगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या शाखाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं।

निष्क्रिय/प्रसुप्त खाते

बचत/चालू खाते को निष्क्रिय (ड्रॉपरेटिव)/प्रसुप्त (डोरमेंट) मान लिया जाएगा, यदि खाते में अंतिम परिचालन की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक कोई ग्राहक प्रेरित (वित्तीय या चयनित गैर-वित्तीय) लेन-देन नहीं होगा। इसलिए खाताधारकों को नियमित रूप से अपने खातों का परिचालन करने की सलाह दी जाती है।

स्थायी निर्देश

खाताधारक द्वारा सेवा शुल्क के भुगतान पर बैंक से अपना खाता डेबिट कर समय-समय पर बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्कों, आदि का भुगतान करने का अनुरोध किया जा सकता है। स्थायी निर्देश के लिए वर्तमान निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

ब्याज का भुगतान

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों और बैंक की एलएएम नीति के अनुरूप समय-समय पर बैंक द्वारा निर्णयानुसार दर और आवधिकता पर बचत खाता और सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

खाते का स्थानांतरण और बंदी

खाताधारक (खाताधारकों) के अनुरोध पर बैंक की शाखाओं के बीच खातों का स्थानांतरण किया जा सकता है। खाता बंद करने के अनुरोध में बंद करने का कारण बताया जाना चाहिए। बंद करने के अनुरोध के साथ पासबुक/चेक बुक/डेबिट कार्ड अवश्य होना चाहिए। संयुक्त खातों को ऐसे सभी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही बंद किया जा सकता है।

बीएसबीडी योजना की विशेषताएं

- बैंक शाखा में नकदी जमा के साथ-साथ एटीएम/सीडीएम।
- किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से या केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों की जमा/वसूली के माध्यम से धन की प्राप्ति/जमा।
- जमाओं की संख्या और मूल्य पर कोई सीमा नहीं जो महीने में किए जा सकते हैं।
- एटीएम निकासी सहित एक माह में न्यूनतम 4 निकासी
- एटीएम कार्ड या एटीएम-सह-डेबिट कार्ड

नियमों में परिवर्तन

बैंक इन नियमों और सेवा शुल्कों में से किसी को भी बदलने, हटाने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए ग्राहक को बैंक की वेबसाइट और/या शाखा की नोटिस बोर्ड के माध्यम से विधिवत सूचित किया जाएगा।

सेवा में,

श्री/श्रीमती

प्रिय महोदय/महोदया,

पंजी.: हमारे पास आपकी जमा सं. के संबंध में नामांकन

संदर्भ: आपका आवेदन पत्र डीए1/पत्र सं. दिनांकित

हम आपके नामांकन पत्र दिनांकित की प्राप्ति स्वीकार करते हैं जो हमारे पास खाता सं. में रखी गई उपरोक्त

राशि प्राप्त करने हेतु श्री/श्रीमती को अधिकृत करता है.

भवदीय

प्रबंधक

शाखा

दिनांक

आवेदन सं.

पावती (खाता खोलने का फॉर्म)

सेवा में,

श्री/श्रीमती (प्राथमिक खाता धारक)

श्री/श्रीमती (संयुक्त खाता धारक)

पंजी: हमारे साथ बचत/चालू खाता खोलने के लिए आवेदन

संदर्भ:के प्रारंभिक विप्रेषण के साथ का आपका आवेदन क्रमांक दिनांकित

जैसा कि ऊपर संदर्भित किया गया है, हम बचत/चालू खाता खोलने के लिए आपके आवेदन की प्राप्ति सधन्यवाद स्वीकार करते हैं.

☐ आपका खाता अधिकतम 7 कार्य दिवसों के भीतर सक्रिय कर दिया जाएगा (दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन).☐ आपका स्वागत किट (केवल बचत बैंक खातों के लिए लागू) 7 कार्य दिवसों के भीतर प्राथमिक खाताधारक/शाखा के संचार-संपर्क के पते पर भेज दिया जाएगा (दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन).

भवदीय

प्रबंधक

शाखा

दिनांक

आवेदन सं.

इस आवेदन के संबंध में और पूछताछ के लिए हमें हमारे राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800 420 1199 या 1800 425 1199 पर कॉल करें.

ग्राहकों के लिए निर्देश

आवेदन सं.

कृपया सभी अनुच्छेदों को काली स्याही से बड़े अक्षरों में पूरा करें और जहाँ भी लागू हो, खानों पर सही का निशान लगाएँ.

- फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ नया संबंध शुरू करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करें.
- संभावित ग्राहक की पहचान और पता बैंक को पर्याप्त प्रमाण प्रदान कर प्रमाणित किया जाएगा. ग्राहक द्वारा पहचान और पते के प्रमाण के रूप में बैंक की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दस्तावेज/प्रतियाँ जमा की जा सकती हैं

आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज

- आधार/आधार रखने का प्रमाण
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मतदाता पहचान-पत्र
- पासपोर्ट
- नरेगा
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का पत्र

इस बात का ध्यान रखें कि सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा.

- इस फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज : उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज/प्रतियाँ (सूची संपूर्ण नहीं है) भी आवश्यक हैं जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है.

व्यक्तियों

- छायाचित्र
- पैन कार्ड की प्रति या विधिवत भरा हुआ फॉर्म 60
- विधिवत अभिस्वीकृत फॉर्म 49 ए की प्रति जहाँ फॉर्म 60 पैन/आधार के लिए आवेदन करने के कारण से भरा गया है.

जीएसटी पंजीकरण का विवरण

- जीएसटी पंजीकरण संख्या केवल तभी भरी जाएगी अगर आपके लिए जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण रखना कानूनन आवश्यक है.
- पैन उपलब्ध कराए जाने पर ही जीएसटी पंजीकरण संख्या को अद्यतन किया जाएगा.
- 'पत्राचार के पते में दिया गया 'राज्य' जीएसटी पंजीकरण दस्तावेज में उल्लिखित 'राज्य कोड' के समान होना चाहिए.